संख्या- 656/26-ब0प्र0-2013-3780/2012

प्रेषक,

दीनानाथ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ: दिनांक: 22 नवम्बर, 2013

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-324/म0प्र0(वित्त)/ वि0प्र0-2/232/आय-व्ययक/2013-14, दिनांक 15.04.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 2,29,00,00,000/- (रू0 दो अरब उन्तीस करोड़ मात्र) में से सम्प्रति रू0 1,15,00,00,000/- (रू0 एक अरब पन्द्रह करोड़ मात्र) को एतद्द्वारा स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण रू0 1,15,00,00,000/- (रू0 एक अरब पन्द्रह करोड़ मात्र) की 05 समान किश्तों में क्रमशः माह नवम्बर, 2013 से मार्च, 2014 में किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग'1 उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 मे स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि प्रदेश की तहसीलों में स्थापित किये जाने वाले 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों से संचालित कार्यो पर व्यय की जायेगी। धनराशि का आहरण करने के पूर्व उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा वर्ष 2013-14 में योजना के अन्तर्गत चयनित स्थलों, कराये जाने वाले कार्यो, अनुमानित लागत, भौतिक लक्ष्य तथा कार्यो के लिये सुस्पष्ट माईलस्टोन्स का सूचीबद्ध विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहां से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के सम्बन्ध में उपयोगित प्रमाण पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन निदेशक(वित्त) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

7- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-05-संचरण तथा वितरण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-04-उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु अंशपूंजी-30-निवेश/ऋण में नामें डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1996/दस-2013, दिनांक 08 नवम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

(दीनानाथ)
अनु सचिव

संख्या- 656 (1)/26-ब0प्र0-2013-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001
2. प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1
5. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in